भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3779

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

जम्मू और कश्मीर में लिथियम और टाइटेनियम संसाधन

†3779 श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में लिथियम और टाइटेनियम के महत्वपूर्ण संसाधन हैं;
(ख) यदि हां, तो अन्वेषण स्तर को जी 1 अथवा कम से कम जी 2 स्तर तक पहुंचने और सलाल-हैमाना क्षेत्र को नीलामी के लिए रखने और वहां वाणिज्यिक खनन शुरू करने में कितना समय लगने की संभावना है; और
(ग) लिथियम धातु के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): खान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमना ब्लॉक में मुख्य रूप से बॉक्साइट के लिए, जहाँ लिथियम और टाइटेनियम के अतिरिक्त संसाधन स्रोत भी प्रमाणित किए गए हैं, प्रारंभिक गवेषण (जी3 चरण) किया है। जीएसआई ने सज्जीकरण अध्ययन करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर और खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर को खनिज नमूने सौंपे हैं। इसके अतिरिक्त, रियासी जिले के पूर्वी सलाल और पनासा क्षेत्रों में लिथियम पर जीएसआई द्वारा वर्तमान कार्य सत्र 2024-25 में दो प्रारंभिक गवेषण (जी3 चरण) परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है जिसमें खनन क्षेत्र में लिथियम सहित 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग घ में सम्मिलित करने और केंद्र सरकार को इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनिज रियायतों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देने जैसे बड़े सुधार शुरू किए गए हैं। खान मंत्रालय ने लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के लिए संयुक्त

अनुज्ञप्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के कटघोड़ा ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी स्थापित की गई है। काबिल ने लिथियम के गवेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र का अधिग्रहण किया है।

******